# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

## जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया/आर.ए.एस.)

तिथि : 14.03.2022

प्रार्थना–पत्र संख्याः–42/2022दर्ज

श्रीमती सुशीला देवी पत्नि विमलचन्द्र जाति राठौड़ महाजन आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज. .................प्रार्थिया

**बनाम**

1. गिरधारीलाल पिता रामस्वरूप जाति माहेश्वरी आयु वयस्क निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ राज.
2. संतोष कुमार पिता रामस्वरूप माहेश्वरी आयु वयस्क निवासी कारूण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
3. भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़, राज. ................विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री नरेन्द्र वैष्णव
विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 अधिवक्ता :– श्री आशाराम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–ःनिर्णयः– निर्णय तिथि : 29.09.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थिया एवं विपक्षी नम्बर 1 व 2 की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की आराजियात वाके मौजा धनोरा पटवार हल्का फलवा तहसील, निम्बाहेड़ा में स्थित है जिसके नवीन एवं पुराने आराजी नम्बरान निम्न प्रकार है :

| क्र.सं. | वर्तमान आराजी नम्बरान का विवरण (रकबा हैक्टेयर में ) | | साबिक आराजी नम्बरान का विवरण (रकबा बीघा में) | |
|---|---|---|---|---|
| | आराजी नम्बर | रकबा | आराजी नम्बर | रकबा |
| 1 | 1002 | 0.01 | 604मी | 3–02 |
| 2 | 1003 | [illegible] | 604मी | – |
| 3 | 980 | 36 | 595 | 10–19 |
| 4 | 981 | 0.2[illegible] | 605 | 1–07 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:57 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की। प्रार्थिया ने वादग्रस्त आराजियात जिसके पुराने आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3–19 बीघा में 27 बिस्वा यानि 54/158 हिस्सा तथा आराजी नम्बर 604 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा व आराजी नम्बर 605 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा यानि 2 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांस कुल 71 बिस्वा 10 बिस्वांस भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2007 को खातेदार हंसराज पिता

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

नारायण जाट निवासी धनोरा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका विधिवत नामांतरण प्रार्थिया के नाम नामांतरण संख्या 802 दिनांक 22.06.2007 से तस्दीक हुआ तथा राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त नामांतरण जमाबंदी संवत् 2060–2063 पर अमल करते समय खातेदारी में दर्ज करते समय उक्त आराजियात संख्या 1380/595, 604, 605 किता 3 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा में से 54/158 हक हिस्सा प्रार्थिया के नाम दर्ज कर दिया गया और 25/158 हिस्सा सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट के नाम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया के नाम आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3–19 बीघा में से 27 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 604 एवं 605 का 1/2 हिस्सा यानि 2 बीघा 4.5 बिस्वा यानि कुल रकबा 71.5 बिस्वा जिसके नये आराजी नम्बर 1002, 1003 व 981 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा यानि 0.48 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 980 रकबा 0.86 हैक्टेयर में से 54/158 हिस्सा यानि 0.2939 हैक्टेयर इस प्रकार चारों आराजियात में से प्रार्थिया के क्रयशुदा हिस्से व कब्जे काश्त की कुल रकबा 0.7739 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिया की है तथा शेष भूमि 1.0460 हैक्टेयर भूमि विपक्षी नम्बर 1 व 2 के संयुक्त हिस्से व कब्जे की है तथा राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से वादग्रस्त कुलिया आराजियात में प्रार्थिया का नाम 54/158 हक हिस्सा यानि 27/79 हिस्सा, तथा विपक्षी नम्बर 1 व 2 के नाम 26/79–26/79 गलत रूप से दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थिया ने अपने हक हिस्से व कब्जे की क्रयशुदा कुलिया आराजियात कुल रकबा 0.7739 हैक्टेयर भूमि यानि नये आराजी नम्बर 1002, 1003 व 981 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा यानि 0.48 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 980 रकबा 0.86 हैक्टेयर में से 54/158 हिस्सा यानि 0.2939 हैक्टेयर इस प्रकार चारों आराजियात में से प्रार्थिया के क्रयशुदा हक हिस्से व कब्जे काश्त की कुल रकबा 0.7739 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिया के नाम नवीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर शेष रकबा 1.0460 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा इन्द्राज दुरूस्त कराने की प्रार्थिया अधिकारीणी है। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया के क्रयशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की नवीन आराजी नम्बर 1002, 1003 व 981 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा यानि 0.48 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 980 रकबा 0.86 हैक्टेयर में से 54/158 हिस्सा यानि 0.2939 हैक्टेयर इस प्रकार चारों आराजियात में से कुल रकबा 0.7739 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिया के नाम तथा शेष रकबा 1.0460 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम नवीन राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी क्रमांक 1 व 2 की ओर से श्री आशाराम प्रजापत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं विपक्षी क्रमांक 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जिसे बाद अवलोकन अस्वीकार किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया द्वारा क्रय की गई भूमि का हिस्सा पूर्ववत दर्ज करने ... तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं कि जमा... धनोरा संवत 2060–2063 के खाता संख्या 102 पर श्री लक्ष्मण ... सा.देह का किता 9 रकबा 14–05 बीघा दर्ज है। यह कि उक्त खाता नम्बर 102 में से हंसराज पिता नारायण ने उसके 1/2 हिस्से में से ... की आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3–19 बीघा में से 27 बिस्वा (कुल का 54/158 हिस्सा) तथा आराजी नम्बर 604 रकबा 3–02 बीघा व 605 रकबा 1–07 बीघा में से सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा क्रेता श्रीमती सुशीला देवी पत्नि विमलचन्द राठोड महाजन सा.निम्बाहेडा को विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 2007001621 दिनांक 04.06.2007 को विक्रय किया। उसी दिनांक 04.06.2007 को ही केवल आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3–19 बीघा में से रकबा 12.50 बिस्वा (कुल का 25/158 हिस्सा) क्रेता सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट सा.देह को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:57 IST
Reason: Self Attested

अधिकारी

विक्रय कर पंजीयन क्रमांक 2007001622 पर पंजीयन करा था। यह कि उक्त दोनों ही विक्रय पत्रों का नामान्तरकरण संख्या 802 विक्रय पत्रों अनुसार दर्ज होकर जांच होकर निर्णित हुआ जो रिकार्ड व विक्रय पत्रों से मिलान होता है। यह कि उक्त नामांतरण संख्या 802 का अमल जमाबंदी संवत 2060–2063 के खाता नम्बर 102 पर विक्रय से हंसराज पिता नारायण जाट के वजाय आराजी नम्बर 1380/595, 604, 605 किता 3 रकवा 8.08 वीघा में से 54/158 हिस्सा श्रीमती सुशीला देवी पति विमलचन्द राठोड महाजन सा.निम्बाहेडा का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई एवं नामांतरण संख्या 802 दिनांक 06.07.2007 से ही श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट 25/158 हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति हुई। यह कि ग्राम धनोरा की जमाबंदी संवत 2060–2063 के बाद भू–प्रवन्ध कार्यवाही चालू होने से अगला रोटेशन जमाबंदी रोटेशन नहीं लिखा जाकर इसके वाद संवत 2067–2070 आधार वर्ष की जमाबंदी भू–प्रबन्ध बाद बनी। भू–प्रबन्ध में उक्त नामांतरण संख्या 802 का अमल नहीं होने सेआधार वर्ष जमाबंदी संवत 2067–2070 में पुनः उपरोक्तानुसार अमल हुआ।

यह कि रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल अनुसार

| क्र.सं. | वर्तमान आराजी नम्बरान का विवरण (रकबा हैक्टेयर में ) | | साबिक आराजी नम्बरान का विवरण (रकबा बीघा में) | |
|---|---|---|---|---|
| | आराजी नम्बर | रकबा | आराजी नम्बर | रकबा |
| 1 | 1002 | 0.01 | 604मी | 3–02 |
| 2 | 1003 | 0.66 | 604मी | – |
| 3 | 980 | 0.86 | 595 | 10–19 |
| 4 | 981 | 0.29 | 605 | 1–07 |

दर्ज होकर मिलान होता है।

यह कि आधार वर्ष जमाबंदी संवत 2067–2070 में नामांतरण संख्या 802 का पुनः अमल विकाव से हंसराज पिता नारायण के बजाय आराजी नम्बर/रकबा 980मी/0.86, 1002/0.01, 1003/0.66, 981/0.29 किता 4 रकबा 1.82 हैक्टेयर में से 54/158 हिस्सा श्रीमति सुशीला देवी पत्नि .... चन्द राठोड सा. निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इस प्रकार दर्ज है। जो नामान्तरण एवं विक्रय पत्रों से मिलान नही होता है। यह कि विक्रय पत्रों एवं नामांतरण संख्या 802 अनुसार क्रेता श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण का गत आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3.19 बीघा (हाल आराजी नम्बर 980 रकवा 0.86 हैक्टेयर) में ही 25/158 हिस्सा है। जबकि अमल अनुसार गत आराजी नम्बर 604, 605 किता 2 रकबा 4–09 बीघा (हाल आराजी नम्बर 1002, 1003 व 981 कुल रकबा 0.96) में भी सोहनलाल का 25/158 हिस्सा दर्ज हुआ हैं जो नामान्तरण अनुसार नहीं है। यह कि विक्रय पत्र एवं नामांतरण संख्या 802 अनुसार क्रेता श्रीमती सुशीला देवी पत्नि विमलचन्द राठोड महाजन का गत आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3.19 बीघा में 54/158 व 604, 605 कुल रकबा 4–19 बीघा में 1/2 हिस्सा होना दर्ज है। जबकि नामांतरण संख्या 802 के अमल से क्रेता सुशीला देवी का गत आराजी नम्बर 1380/595, 604, 605 ( के हाल आराजी नम्बर 980, 1002, 1003, 981) में 54/158 दर्ज हुआ है जो नामान्तरण व विक्रय पत्र अनुसार नहीं है। यह कि विक्रय पत्र व नामांतरण संख्या 802 अनुसार क्रेता सोहनलाल के नाम गत आराजी नम्बर 1380/595 के हाल आराजी नम्बर 980 रकबा 0.86 हैक्टेयर में 25/158 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए जबकि अमल अनुसार गत आराजी नम्बर 1380/595, 604, 605 रकबा 8–08 बीघा के हाल आराजी नम्बर 980, 1002, 1003, 981 किता 4 रकबा 1.82 हैक्टेयर में क्रेता सोहनलाल 25/158 दर्ज होकर रकबा 0.2879 हैक्टेयर सोहनलाल के नाम दर्ज होकर रकबा 0.1519 हैक्टेयर अधिक दर्ज हुआ है। यह कि नामान्तरण संख्या 802 के अमल अनुसार हाल आराजी नम्बर 1002, 1003, 980, 981 किता 4 रकबा 1.82 हैक्टेयर में क्रेता सोहनलाल 25/158 दर्ज होकर सोहनलाल के क्रय भूमि 0.1360 हैक्टेयर के बजाय 0.2879 दर्ज होकर 0.1519 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज है। जो क्रेता सुशीला देवी को 0.1519 हैक्टेयर अमल से कम हुई है। यह कि उपरोक्त हाल आराजी नम्बर 1002, 1003, 980, 981 कुल किता 4 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण ने उसका दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा 25/158 व श्री लक्ष्मण पिता नारायण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:57 IST
Reason: SelfAttested

उसका दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 कुल रकबा 1.1979 हैक्टेयर भूमि का विक्रय क्रेता श्री संतोष कुमार गिरधारीलाल पिता रामस्वरूप गगरानी सा. कारूण्डा को दिनांक 13.06.2016 को क्रम संख्या 2016002777 पर विक्रय–पत्र पंजीयन कराया। इस विक्रय पत्र का नामांतरण होकर हाल जमाबंदी संवत 2077–2080 के खाता संख्या 334 पर आराजी नम्बर 1002, 1003, 980, 981 किता 4 रकबा 1.82 हैक्टेयर में श्री गिरधारीलाल पिता रामस्वरूप 26/79, संतोषकुमार पिता रामस्वरूप 26/79 माहेश्वरी सा. कारूण्डा, सुशीला देवी पत्नि चन्द्र 27/79 राठौड सा. निम्बाहेड़ा दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट के अन्त में अंकित किया हैं कि उपरोक्तानुसार विवरण रेकार्ड से मिलान होकर नामान्तरण संख्या 802 का जमाबंदी में अमल सहवन से नामांतरण निर्णय से भिन्न हो जाने से श्रीमती सुशीला देवी प्रार्थिया द्वारा क्रय गत भू–प्रबन्ध आराजी नम्बर 604 व 605 रकबा 4–09 बीघा के हाल आराजी नम्बर 1002, 1003 व 981 किता 3 रकबा 0.96 हैक्टेयर में से रकबा 0.1519 हैक्टेयर सोहनलाल पिता लक्ष्मण के नाम से सुशीला देवी पति विमलचन्द के नाम दर्ज होना उचित है मगर सोहनलाल द्वारा उसका सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता संतोषकुमार गिरधारीलाल पिता रामस्वरूप माहेश्वरी को विक्रय होकर जमाबंदी में दर्ज हो चुका है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रेषित किया गया कि '' विपक्षीगण ने आराजी नम्बर/रकबा 980/0.86, 981/0.29, 1002/0.01 व 1003/0.66 कुल किता 4 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर में से खातेदार लक्ष्मण पिता नारायण जाट निवासी का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 एवं सोहनलाल का 25/79 हिस्सा जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज था उसको वर्ष 2016 में जरिये रजिस्ट्री क्रय किया था। विक्रेता का बंटवारे से जो हक हिस्सा बंटवारे से आया वह सड़क से पश्चिम दिशा में आया और वही हिस्सा विपक्षीगण 1 व 2 को कब्जे में दिया तब से ही विपक्षीगण अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। यदि प्रार्थिया ने जो आराजियात खरीदी और उसका इंतकाल गलत निर्णित हुआ है तो उसके लिये प्रकरण हाजा में कोई दाद प्रार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। नामांतरण जो गलत दर्ज प्रार्थिया के नाम किया गया है उसकी कार्यवाही अलग की जा सकती है। जवाब के अन्त में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध मय हर्जे खर्चे सहित खारीज फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:57 IST
Reason: SelfAttested

6\. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अंकित तथ्यों पर मनन किया गया। यह सही हैं कि विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 ने हाल आराजी नम्बर 980, 981, 1002 एवं 1003 कुल किता 4 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर वादग्रस्त भूमि की आराजियात में क्रेता लक्ष्मण पिता नारायण का दर्ज 1/2 व सोहनलाल पिता लछमण का दर्ज 25/158 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त नवीन आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3–19 बीघा, 604 रकबा 3–02 बीघा एवं 605 रकबा 1–07 बीघा थे। उक्त साबिक आराजियात ग्राम धनोरा की जमाबंदी संवत 2060–2063 की खाता संख्या 102 में लक्ष्मण हंसराज पिता नारायण जाट के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इस प्रकार लक्ष्मण एवं हंसराज प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। प्रार्थिया ने हंसराज 1/2 से आराजी नम्बर 1380/595 में से 54/158 हिस्सा एवं आराजी नम्बर 604 एवं 605 में से सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा दिनांक 04.06.2007 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया था जिसका पंजीयन क्रमांक 2007001621 है एवं आराजी नम्बर 1380/595 में से हंसराज का शेष हिस्सा 1/2–58/158 बराबर 25/158 हिस्सा श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट ने भी दिनांक 04.06.2007 को क्रय किया था जिसके पंजीयन क्रमांक 2007001622 है। दोनों विक्रय पत्र के क्रम में ग्राम धनोरा की साविक नामांतरण संख्या 802 दर्ज किया गया जिसमें साबिक आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3–19 बीघा में हंसराज पिता नारायण जाट 1/2 के बजाय श्रीमती सुशीलादेवी पत्नि विमलचन्द राठोड (महाजन) 54/158 एवं सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट 25/158 दर्ज किया गया। साबिक आराजी नम्बर 604 रकबा 3–02 बीघा एवं 605 रकबा 1–07 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4–09 बीघा में हंसराज पिता नारायण 1/2 जाट के बजाय क्रेता श्रीमती सुशीला देवी पत्नि विमलचन्द राठोड (महाजन) 1/2 दर्ज किया गया जिसका ग्राम धनोरा की साबिक जमाबंदी संवत 2060–2063 की खाता संख्या 102 में अमल किया गया कि " **विक्रय से हंसराज पिता नारायण जाट के बजाय आराजी नम्बर 1380/595, 604, 605 किता 3 रकबा 8.08 बीघा में से 54/158 हिस्सा श्रीमती सुशीला देवी पति विमलचन्द राठोड महाजन सा.निम्बाहेडा का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई एवं नामांतरण संख्या 802 दिनांक 06.07.2007 से ही श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट 25/158 हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति हुई**"। इस प्रकार श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट द्वारा केवल आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3–19 बीघा में से ही हंसराज के 1/2 हिस्से में से 25/158 हिस्सा क्रय किया था नामांतरण भी सही दायर किया गया था किन्तु अमल में आराजी नम्बर 604 एवं 605 में से भी सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट के 25/158 हिस्सा दर्ज हो गया। वर्ष 2007 में उपखण्ड निम्बाहेड़ा में सेटलमेन्ट कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण साविक जमाबंदी संवत 2060–2063 का नवीन रोटेशन तैयार नहीं किया गया। सेटलमेन्ट पश्चात् आधार वर्ष की जमाबंदी संवत 2067–2070 में उक्त नामांतरण संख्या 802 का पुनः पूर्ववत ही नोट लगाया गया "**विक्रय से हंसराज पिता नारायण जाट के बजाय आराजी नम्बर/रकबा 980/0.86, 981/0.29, 1002/0.01, 1003/0.66 कुल किता 4 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर में से 54/158 हिस्सा श्रीमती सुशीला देवी पति चन्द राठोड महाजन सा. निम्बाहेडा का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई एवं श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट 25/158 हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति हुई**"।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:57 IST
Reason: SelfAttested

| क्र.सं. | वर्तमान आराजी नम्बरान का विवरण (रकबा हैक्टेयर में) | | साबिक आराजी नम्बरान का विवरण (रकबा बीघा में) | |
|---|---|---|---|---|
| | आराजी नम्बर | रकबा | आराजी नम्बर | रकबा |
| 1 | 1002 | 0.01 | 604मी | 3–02 |
| 2 | 1003 | 0.66 | 604मी | – |
| 3 | 980 | 0.86 | 1380/595 | 3–19 |
| 4 | 981 | 0.29 | 605 | 1–07 |

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

चूंकि सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट ने साबिक आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3—19 बीघा में से ही 25/158 हिस्सा क्रय किया था एवं जिसके नवीन आराजी नम्बर 980 रकबा 0.86 हैक्टेयर बने अतः सोहनलाल के नाम केवल आराजी नम्बर 980 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि में से 25/158 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होना चाहिए था जबकि नामांतरण संख्या 802 में निर्णय के मुकाबले जमाबंदी में गलत अमल कर दिये जाने से वर्तमान आराजी नम्बर 1002, 1003 एवं 981 में भी सोहनलाल का 25/158 हिस्सा सहवन से दर्ज हो गया। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में आराजी नम्बर 980, 981, 1002 एवं 1003 कुल किता 4 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर में श्री लक्ष्मण पिता नारायण 1/2 जाट श्रीमती सुशीला पत्नि चन्द्र राठोड (महाजन) 54/158 श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण 25/158 जाट दर्ज रिकार्ड हुआ। इस प्रकार आराजी नम्बर 1002, 1003 एवं 981 में सोहनलाल पिता लक्ष्मण 25/158 सहवन से गलत दर्ज रिकार्ड हो गया। तत्पश्चात् खातेदार लक्ष्मण पिता नारायण 1/2 एवं सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट 25/158 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता श्री गिरधारीलाल, संतोषकुमार पिता गिरधारीलाल को विक्रय कर दिया। वर्तमान जमाबंदी संवत 2077—2080 की खाता संख्या 334 में आराजी नम्बर 980, 981, 1002 एवं 1003 कुल किता 4 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर भूमि श्रीमती सुशीला पत्नि चन्द्र राठोड 27/79 गिरधारीलाल पिता रामस्वरूप 26/79 एवं संतोषकुमार पिता रामस्वरूप 26/79 माहेश्वरी के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार आराजी नम्बर 981, 1002 एवं 1003 में सहवन से हिस्सा 25/158 श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण के नाम दर्ज रिकार्ड हो जाने से श्री सोहनलाल द्वारा उक्त आराजियात में अपना सम्पूर्ण हिस्सा श्री गिरधारीलाल एवं संतोषकुमार को विक्रय कर दिया जबकि उक्त आराजियात में श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण का कोई हिस्सा ही दर्ज नहीं होना चाहिए था। अतः साबिक रिकार्ड से साबित होने के कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी नम्बर 981, 1002 एवं 1003 में प्रार्थिया का हिस्सा 27/79 के बजाय हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट ने साबिक आराजी नम्बर 1380/595 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि मे से 25/158 हिस्सा यानि 12.5 बिस्वा विक्रेता श्री हंसराज पिता नारायण जाट से क्रय किया था। किन्तु राजस्व कार्मिकों की गलती की वजह से साबिक आराजी नम्बर 604 एवं 605 में से भी श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट के 25/158 हिस्सा दर्ज हो गया। जिसको राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 अन्तर्गत शुद्धि करवाया जाना था किन्तु सोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कार्मिकों की गलती से साबिक आराजी नम्बर 604 एवं 605 में से 25/158 हिस्सा सहवन से दर्ज हो गया। आराजी नम्बर 1380/595, 604 एवं 605 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नम्बर क्रमशः 980 रकबा 0.86 हैक्टेयर, 1002 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1003 रकबा 0.66 हैक्टेयर एवं 981 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर बने एवं सहवन से आराजी नम्बर 981, 1002 एवं 1003 में सोहनलाल का 25/158 हिस्सा दर्ज हो जाने से इन्होंने इन आराजियात में से भी विपक्षी संख्या 1 व 2 को 25/158 हिस्सा विक्रय कर दिया जबकि विक्रेता सोहनलाल को इन्हें विक्रय करने का कोई अधि[illegible] था। श्री सोहनलाल को केवल अपनी क्रयशुदा आराजी नम्बर 980 रकबा 0.86 हैक्टेयर में से ही अपना 25/158 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 व 2 को विक्रय किया जा[illegible]। अगर क्रेता विपक्षी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार की राहत प्राप्त करनी है तो वे संबंधित विक्रेता श्री सोहनलाल पिता लक्ष्मण जाट से प्राप्त कर सकते है। उसके लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्राप्त करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:57 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी

सुशीला देवी बनाम गिरधारी गवैरा
प्रकरण संख्या : 42/2022
निर्णय दिनांक : 29.09.2023

**आदेश है कि**

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकॉर्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम धनोरा, पटवार मण्डल फलवा की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 334 में दर्ज आराजी नम्बर 980 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि के हिस्से यथावत रखते हुए आराजी नम्बर 981 रकबा 0.29 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1002 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.66 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि में श्रीमती सुशीला देवी पत्नि विमलचन्द राठोड (महाजन) सा.निम्बाहेड़ा 1/2, विपक्षी नम्बर 1 व 2 श्री गिरधारीलाल पिता रामस्वरूप 1/4 माहेश्वरी सा. कारूण्डा एवं संतोषकुमार पिता रामस्वरूप 1/4 माहेश्वरी सा.कारूण्डा दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन तीनों आराजियात का आदेशानुसार हिस्सा रखते हुए अलग खाता कायम किया जावे। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

29/9/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:57 IST
Reason: SelfAttested